न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 139 / 2014

1 सन्तोष पत्नी सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 विमला देवी पत्नी हरफूल सिंह।
2 ग्यारसी पत्नी गोरधन समस्त जाति जाट निवासीगण झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
3 तहसीलदार नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2013
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर अनुवानी
प्रकरण विमला देवी बनाम सन्तोष देवी आदि मुकदमा
नम्बर 97 / 2008 (196 / 2009) अपील अन्तर्गत धारा
223 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार हुडडा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 24.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2008 (196/2009) में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 2.68 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.19 हैक्टेयर तन ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर स्थित है उक्त आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की अविभाजित आराजीयात है जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन नहीं हुआ, रेस्पोडेंट संख्या 1 बिमला देवी ने विचारण न्यायालय में वाद बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया, अपीलांट ने वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के वाद की पुष्टि में विभाजन नहीं होने का अपने जवाब दावे में कथन किया व रेस्पोडेंट संख्या 02/प्रतिवादी संख्या 2 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया व विभाजन विधिवत न होने के तथ्य को स्वीकार किया विचारण न्यायालय ने वाद तनकी की स्टेज पर होते हुए अपने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.09.2011 को पी.डी. किया व तीन बिन्दु निर्धारित कर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जिस पर तहसीलदार मौके पर गए बिना व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.09.2011 में दिये गये बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के निर्देशो की पालना किए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के खाली पेपरो पर हस्ताक्षर करवा लिए व मौके पर कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया न तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जो बंटवारा प्रस्ताव आया उसमें खसरा नम्बर 600 रकबा 0.51 हैक्टेयर के पश्चिमी साईड से गुजरने वाले आम रास्ते से खसरा नम्बर 600 के मध्य में स्थित अपीलांट व पूर्वी साईड में स्थित बिमला रेस्पोडेंट संख्या 1 का रास्ता ही प्रस्तावित नही किया व रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आपत्ति किए जाने पर उस पर गौर किए बिना ही आपत्ति खारिज करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के सिद्वान्त को समझे बिना ही विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2013 विरूद्व कानूनी पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 956 का विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट संख्या 2के रास्ते की व्यवस्था की है लेकिन पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट संख्या 2 से साजकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.51 हैक्टेयर तन ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर स्थित उक्त आराजी के पश्चिमी साईड से आम रास्ता गुजरता है, व उसी रास्ते से टलकर अपीलांट वे रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की भूमि में सींव के उत्तरी साईड से आवागमन करते है, उक्त बंटवारा प्रस्ताव में पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 600 में से आवागमन के रास्ते को दर्शित नही किया, न रास्ते का रकबा कम किया, विचारण न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति भी की गई लेकिन विचारण न्यायालय ने बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के सिद्वान्त को समझे बिना व खसरा नम्बर 600 के सह कृषक अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के रास्ते की व्यवस्था किए बिना ही अपना निर्णय जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खाली कागजो पर करवाये गये थे। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई हैं। न्यायहित में मियाद का फायदा दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा भी विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव हस्ताक्षरित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार एवं अपीलांट के हस्ताक्षर है। किन्तु विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं करके केवल प्रति–हस्ताक्षर किए गए है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि खसरा नम्बर 956 का विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट संख्या 2के रास्ते की व्यवस्था की है लेकिन पटवारी हल्का ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.51 हैक्टेयर तन ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर स्थित उक्त आराजी के पश्चिमी साईड से आम रास्ता गुजरता है, व उसी रास्ते से टलकर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की भूमि में सींव के उत्तरी साईड से आवागमन करते है, उक्त बंटवारा प्रस्ताव में खसरा नम्बर 600 में से आवागमन के रास्ते को दर्शित नही किया, न रास्ते का रकबा कम किया। अत इस बिन्दु पर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री में रास्ते के बिन्दु को छोड़कर शेष डिक्री यथावत रखी जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उभयपक्ष की उपस्थिति में विवादित भूमि के सन्दर्भ में विधि अनुसार रास्ते का प्रावधान कर रास्ते के सन्दर्भ में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर